न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/93/2025	2025/210	03.06.2025	09.03.2026

1. सोहन सिंह पुत्र स्व. श्री डालचन्द स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ निवासी कोली मोहल्ला, मालाखेडा, जिला अलवर, (राज०)

—अपीलाण्ट

बनाम

1. कौशल्या पत्नी स्व. श्री नन्नूराम, निवासी स्टेशन रोड, गालाखेडा, जिला अलवर राज०
2. तहसीलदार, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज०
3. उप पंजीयक कम तहसीलदार, तहसील गालाखेडा, जिला अलवर राज०

—असल रेस्पोडेण्ट

4. शिवशंकर पुत्र स्व. श्री डालचन्द पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
5. गिर्राज प्रसाद पुत्र दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ, जाति कोली निवासी वी.आई.पी. रोड, मालाखेडा, जिला अलवर राज०
6. भगवानसहाय पुत्र स्व.दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
7. दिनेश पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
8. गोपी पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
9. छुटटन पुत्र स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
10. रामप्यारी पुत्री स्व. दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ
11. गोविन्दी पत्नी स्व. डालचन्द
12. बुद्धी पुत्री स्व० डालचन्द
13. पूजा पुत्री स्व० डालचन्द

निवासीयान कोली मोहल्ला मालाखेडा, जिला अलवर राज०

—तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 20.05.2024 वाके ग्राम मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री देवेन्द्र प्रधान —वकील अपी0
03—श्री गुड्डी नायक —वकील रेस्पो0 सं. 1
02—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 20.05.2024 प्रार्थना—पत्र संख्या — 24/2023 जिसके द्वारा खसरा नं. 522/2 रकबा 0.52, 523 रकबा 0.56 वाके ग्राम मालाखेडा जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट की एक आराजी खसरा नम्बरान 522/2

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रकबा 0.52, 523 रकबा 0.56 साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० में स्थित है। उक्त विवादित आराजी जिस पर अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को इनके स्वर्गीय पिताजी जगन्नाथ उर्फ दयाकिशन पुत्र बिहारी लाल कोली की थी। जिस पर लम्बे अरसे करीब 50 सालों से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट इनसे पूर्व इनके पूर्वज उपयोग उपभोग एवं कुल कार्य कब्जा काश्तकारी का करते चले आ रहे है। जिस पर असल रेस्पोडेण्ट का कभी कब्जा रहा ही नहीं और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है कि असल रेस्पोडेण्ट का कभी विवादित आराजी पर कब्जा रहा हो। इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करके तत्कालीन पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मालाखेडा, मेधा मीणा ने रेस्पोडेण्ट से मिली भगत करके नियमो को ताक में रख कर पारित किया था। इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकर फरमाए जाने योग्य है। उक्त खसरा को देखने से साबित होता है कि जगन्नाथ पुत्र बिहारी लाल नाम का कोई भी आदमी असल रेस्पोडेण्ट के यहाँ कभी था ही नहीं 'ना नही जगन्नाथ उर्फ दयाकिशन पुत्र बिहारी लाल नाम का कोई आदमी असल रेस्पोडेण्ड के यहाँ हुआ था। असल रेस्पोडेण्ट के यहाँ जगन्नाथ तथा दयाकिशन तो हुए है लेकिन इनके पिता बिहारीलाल नही है। असल रेस्पोडेण्ट के परिवार में बिहारीलाल नाम का कोई व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हुआ था। इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करके तत्कालीन पीठासीन अधिकारी महोदय तहसीलदार मालाखेडा, मेधा मीणा ने रेस्पोडेण्ट से मिली भगत करके नियमो को ताक में रख कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया था। रेस्पोडेण्ट कौशल्या ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 काश्तकारी अधिनियम में गलत तरीके से एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर खसरा नम्बरान 522/2 तथा 523 वाके ग्राम मालाखेडा जिला अलवर राज० में अपने हिस्से 1/4 पर अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट गिर्राज, भगवान सहाय, श्रीमती गोविन्दी, शिवशंकर, बुद्धी व पूजा के खिलाफ इनको अतिक्रमी बताते हुए उक्त विवादित आराजी पर अपना कब्जा प्राप्त किए जाने के लिए पेश किया गया था। जबकि अतिक्रमी वो व्यक्ति होता है जिसकी भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है। लेकिन असल रेस्पोडेण्ट के पास तो कभी कब्जा था ही नहीं। असल रेस्पोडेण्ट ने ततकालीन पीठासीन अधिकारी महोदय से मिली भगत करके पूर्व में गलत तरीके से उक्त विवादित आराजी को स्वयं को दयाकिशन, जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल का वारिसान गलत तरीके से साबित करवा कर अपने नाम दर्ज करवाया। जबकि असल रेस्पोडेण्ड के परिवार में विहारीलाल नाम का कोई आदमी हुआ ही नहीं। जिसकी अपील सम्भागीय आयुक्त महोदय के यहाँ विचाराधीन है। उसके बाद असल रेस्पोडेण्ट ने इसी मिली भगत का फायदा उठा कर उसी पीठासीन अधिकारी महोदय से साजबाज करके उक्त आदेश पारित करवाया है। इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकर फरमाए जाने योग्य है। उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को उनके पिता जगन्नाथ उर्फ दयाकिशन की थी। जिस पर अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट का कब्जा है तथा मुताबिक पटवारी रिपोर्ट 17–05–2024 के मुताबिक करीब 20 सालो से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट ही विवादित आराजी पर ही काश्तकारी का कार्य करते चले आ रहे है। इस तथ्य की जानकारी असल रेस्पोडेण्ट को भी है लेकिन इसके बावजूद इस प्रार्थना–पत्र में जानबूझकर रेस्पोडेण्ट कोशल्या ने अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को अतिकमी बताते हुए अन्तर्गत धारा 183 काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत तरीके से एक प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सहाब मालाखेडा, जिला अलवर राज० के यहाँ पेश कर दिया था। इस प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेण्ट कोशल्या ने जानबूझकर तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या–08, 09, 10 (गोपी, छुट्टन, रामप्यारी) को पक्षकार नहीं बनाया ना ही अदालत श्रीमान ने इस बारे में इन तरतीबी रेस्पोडेण्ट को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया ना ही इनके पक्ष को सुना गया। इसलिए यह निर्णय दिनांक–20–05–2024 गलत एवं मनगढन्त तरीके से तथा तथ्यों की अनदेखी करते हुए एवं सभी पक्षकारो को सुने बिना ही आनन फानन में असल रेस्पोडेण्ट से

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

साज बाज होकर विधि विरूद्ध निर्णित किया गया है जो खारिज फरमाए जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्ट की उचित प्रकार से तामील नहीं करवाई गई थी। ना ही अपीलाण्ट को सुना गया था। क्योकि अपीलाण्ट खाने कगाने के बाहर गया हुआ था। इसलिए उसकी सही प्रकार से तामील नहीं हुई थी। यदि इसके बावजूद भी अदालत श्रीमान तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राज० ने उक्त तामील को मान भी लिया तो इस बाबत अपीलाण्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की एक पक्षीय कार्यवाही अगल में नहीं लाई गई थी। अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय कर दिया था।

अदालत श्रीमान तरतीबी रेस्पोडेण्ट गिर्राज एवं भगवान सहाय के अलावा किसी को भी नहीं सुना तथा ना ही अन्य रेस्पोडेण्ट गोविन्दी, शिवशंकर, बुद्धी, पूजा के खिलाफ कोई एक पक्षीय कार्य वाही अमल में लाई गई थी। क्योकि यदि किसी पक्षकार की तामील हो जाती है तो उसका कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इस कार्यवाही के बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है।

धारा 183 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त निर्णय प्रार्थना–पत्र 183 बी काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित किया जाना बताया गया है लेकिन 183 बी का कोई संशोधित दावा या प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेण्ट के द्वारा पेश नही किया गया ना ही कोई प्रार्थना–पत्र अर्मेण्डमेन्ट के लिए लगाया गया। बल्कि आनन फानन में पूर्ति करके बिना प्रतिपक्षी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण को कापी दिलाए जवाब प्राप्त किए ही उक्त निर्णय पारित कर दिया है। यदि नियमानुसार कोई दावा या प्रार्थना–पत्र में कोई मुख्य प्रार्थना–पत्र की धारा सम्पूर्ण तरीके से संशोधित होती है तो उस बाबत दूसरा दावा पेश किया जाता है, आदेश 06 नियम 17 सीपीसी भी इसमें लागू नहीं होती है। प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस दिया जाता है या प्रतिवादीगण या उसके अधिवक्ता को सुना जाता है प्रतिलिपि रिसीव करवा कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाकर ही उक्त निर्णय पारित कर दिया था।उक्त प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार के विवाद्यक बिन्दु भी विरचित नहीं किए गए थे ना ही किसी प्रकार के गवाहान के बयानात दर्ज फरमाए बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया था।

उक्त निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध, विधिक सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए, रेस्पोडेण्ट कोशल्या को बेजा फायदा देते हुए आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपि विपक्षी अधिवक्ता/पक्षकार को दिलाए बिना ही, बिना जवाब प्राप्त किए ही तथा जवाब प्राप्त नहीं होने की दशा में जवाब बन्द किए बिना ही मनमानी करते हुए पारित फरमा दिया गया है। उक्त आराजी काफी बाद में रेस्पोडेण्ट कोशल्या के खिलाफ गलत तरीके से आनन फानन में नाम की गई थी। जबकि यह विवादित आराजी खसरा नम्बरान 522/2 व 523 वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० अपीलाण्ट के दादाजी जगन्नाथ उर्फ दयाकिशन पुत्र बिहारीलाल की थी। उक्त विवादित आराजी के बाबत एसडीओ सहाब अलवर के यहाँ भी एक मुकदमा चला था जिसमे दिनांक–01–06–2002 को एक राजीनामा राजस्व वाद मांगेलाल पुत्र बिहारीलाल कोली, निवासी मालाखेडा, जिला अलवर राज० तथा वादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारीलाल, जाति कोली निवासी गालाखेडा, जिला अलवर राज० के मध्य राजस्व वाद के मध्य पेश किया था। जिसको दिनांक–05–06–2002 को तस्दीक फरमाया गया था। जिसकी प्रति पेश है। उक्त राजीनामे के अनुसार यह निर्णित हुआ था कि आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 52 एयर, व 523 रकबा 56 एयर वाके ग्राम गालाखेडा, जिला अलवर राज० जिसका साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा था में से 03 बीघा साढे चार बिस्वा जगीन सिरे पूर्व की ओर प्रतिवादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र रव. बिहारीलाल, की खातेदारी की रहेगी, इस आराजी में से एक बीघा साढे बारह बिस्वा आराजी सिरे पश्चिम को वादी मांगेलाल पुत्र रव. बिहारीलाल की खातेदारी की रहेगी।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

इस आराजी में स्व. हीरालाल के वारिसान जो की इस मुकदमे में तरतीवी प्रतिवादीगण बनाए गए है उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा इत्यादि जिसकी प्रति अपील में संलग्न है। उक्त राजीनामें एवं पटवारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेण्ट कोशल्या या उनके परिजनों का कभी कब्जा रहा ही नही। उक्त विवादित आराजी गलत तरीके से बाद में कोशल्या के नाम आदेश दिनांक–31–05–2023 से प्राप्त हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी गलत तरीके से अपीलाण्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेण्ट को अतिक्रमी मानते हुए गलत तरीके से विधि विरूद्ध उक्त निर्णय पारित किया है।

उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का एवं सावूतो का सही प्रकार से अवलोकन किए बिना, अपीलाण्ट को सुने बिना, सही प्रकार से पक्षकारों की एक पक्षीय कार्यवाही किए बिना, पक्षकारों की उचित तामील करवाए बिना, सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना ही पारित किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र/दावें में पीठासीन अधिकारी महोदय ने गलत तरीके से फर्जी अगूठे निशानी किए गए नोटिस की तामीलो को गलत तरीके से स्वीकार फरमा लिया था। जबकि पक्षकार गिर्राज, पूजा, सोहनसिंह, भगवान सहाय, हस्ताक्षर करते है लेकिन इनकी तामील गलत तरीके से फर्जीवाडे तरीके से अगूठा निशानी करते हुए करवाकर स्वीकार कर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त फरमाए जाने योग्य है। इन फर्जी कागजातो के बारे में पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर में एफ. आई.आर. दर्ज है। जिसमें जॉच विचाराधीन है।

श्रीमान के समक्ष लिखित बहस अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपील बाबत निरस्त फरमाए जाने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाब मालाखेडा जिला अलवर राज० के निर्णय दिनांक 20.05.2024 प्रार्थना–पत्र संख्या –24/2023 दायर दिनांक 19.10.2023 के अनुसार खसरा नम्बरान 522/2 रकबा 0.52, 523 रकबा 0.56 वाके ग्राम मालाखेडा, जिला अलवर राज० में रेस्पोडेण्ट कौशल्या का हिस्सा 1/4 में गलत तरीके से अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेण्ट कोशल्या को दिलाए जाने के निर्णय को जो कि गलत मनगढन्त एवं विधि विरूद्ध ततकानील पीठासीन अधिकारी महोदय मेधा मीणा तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राज० ने परित फरमाया गया है को मय हर्जा खर्चा अपास्त/खारिज फरमाया जाकर अपीलाण्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो० सं० 1 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक पुश्तेनी आराजियात ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर की आराजी संख्या 522/2 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 523 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दादीया ससुर के जीवनकाल से चली आ रही है, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का 1/4 हिस्सा व अधिकार निहित होकर काबिज काश्त एवं उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। रेस्पोडेन्ट गिर्राज प्रसाद, भगवान सहाय, गोविन्दी, डालचन्द, शिव शंकर, सोहन, बुद्धी, एवं पूजा व डालचंद के वारिस सोहन सिंह अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 के हक हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 को बेदखल करने पर आमादा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के मना करने के बावजुद भी विपक्षी अप्रार्थीगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलोच करते हैं और रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 के हक हिस्से पर कब्जा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को नाजायज रूप से तंग व परेशान कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के हक हिस्से की आराजियात को हड़प करना चाहते हैं। उक्त आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दादीया ससुर के नाम दर्ज थी, उसके बाद विरासत से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं अन्य सह हिस्सेदारान के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुसूचित जाति की आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला है और विपक्षी अप्रार्थीगण, रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 को डरा धमका कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेदखल कर रखा हैं और रेस्पोडेन्ट सांख्या 01 के फराल आदि काश्त करने पर अपीलान्ट एवं

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 जबरन काटकर ले जाते हैं, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भारी आर्थिक नुकसान एवं मानसिक संताप हो रहा है। इसलिए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 को कब्जे से बेदखल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कब्जा दिलाये जाने का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब, मालाखेड़ा द्वारा पारित आदेश वैध एवं विधि अनुसार है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टी की जाकर अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई भी अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेता हैं तो उस व्यक्ति द्वारा प्राथना पत्र प्रस्तुत करने पर उसे कब्जा दिलाये जाने और अतिक्रमी व्यक्ति को बेदखल किये जाने का प्रावधान किया गयाहै। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा भी उसी अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार साहब मालाखेड़ा द्वारा आदेश दिनांक 20.05.2024 पारित किया गया। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (सी) ओर जोड़ा गया, जिसमे किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जा कर लेता हैं तो उसे 15 दिन में कब्जा छोड़ने का आदेश देने पर भी वह कब्जा नही छोड़ता हैं तो 183 (सी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को नेसर्गिक न्याय सिद्धान्त के तहत अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नही हटाने पर दोष सिद्ध मानते हुए न्युनतम 01 माह एवं अधिकतम 03 वर्ष की सजा और 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं। इस अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की भूमि से बेदखल किये जाने का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैध एवं विधि अनुसार है। यदि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 अतिक्रमी द्वारा 15 दिन मे अपना अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं।

पटवारी पटवार हल्का मालाखेड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की प्रश्नगत आराजियात की भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 का नाजायज कब्जा होना पाया गया हैं, जो मात्र अतिक्रमी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रिकॉर्डेड खातेदार है। जमाबन्दी मे दर्ज नाम को ही सही माने जाने का विधि मे प्रावधान हैं और जमाबन्दी मे जो व्यक्ति खातेदार दर्ज हैं, उसका कब्जा माना जाने का प्रावधान है। धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसूचित जाति व्यक्ति की भूमि पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण नही करे, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की एवं उसकी भूमि कोई व्यक्ति हड़प नही करे, इसलिए प्रावधान किया गया हैं। इन प्रावधानो को मध्यनजर रखते हुए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी से बेदखल करने एवं अपना अतिक्रगण हटाकर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कब्जा सुपूर्द किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो वैध एवं विधि अनुसार है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट मंगाकर, जांच कर एवं साक्ष्य लेकर दोनो पक्षो को सुनकर आदेश पारित किया है जो आदेश विधि एवं तथ्यो के अनुसार है। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टी किये जाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर कब्जा किया जाता हैं तो उसमे किसी भी प्रकार का एडवर्स पजेशन नही माना जा सकता है। धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विषय में एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त भी लागू नही होते है और किसी भी प्रकार की मियाद का प्रावधान लागू नही होता है। जैसे ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जानकारी हुई और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र प्ररतुत किया है तो अतिक्रमी को सूचित कर उपस्थित होने पर सुनकर तुरन्त कब्जे से बेदखल कर अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। प्रकरण मे गियाद का विन्दू लागू नही होता है, इसके सम्बन्ध में 1996, डी.एन.जे., पेज 377 पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि के सम्बन्ध मे गियाद एवं रेस ज्युडीकेटा (एडवर्सा पजेशन) के प्रावधान लागू नही होंगे। इसी क्रम मे 1994 आर.बी.जे., पेज 50 मे राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया गया हैं। इस न्यायिक दृष्टांत अनुसार भी किसी भी व्यक्ति का कभी का भी कब्जा हो तो एडवर्सा पजेशन लागू नहीं होकर खातेदार को तुरन्त कब्जा दिलाये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे अतिचारी शब्द का उल्लेख हैं। अतिचारी अतिक्रमी व्यक्ति को बेदखल किये जाने का प्रावधान हैं। इस सम्बन्ध में विधि दृष्टांत 1996 आर.आर.डी., पेज 511, 2003 (2) आर.आर. डी. पेज 1274, 2003 आर. आर.डी. पेज 530, न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रकरण मे लागू होते हैं। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को कब्जा दिलाये जाने एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 को बेदखल करने एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 को अतिक्रमण हटाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 (बी) एवं 183 (सी) की भावना के अनुरूप ही राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक– प० 15 (1) राज–6/11/1 जयपुर दिनांक 11/01/2012 द्वारा माननीय शासन सचिव द्वारा आदेश पारित कर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान धारा 183 (बी), धारा 183 (सी) अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा किये हुए व्यक्ति को सुनकर एवं सुनने के पश्चात संचित प्रक्रिया अपना कर त्वरित रूप से बेदखली एवं दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान हैं। इसलिए अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 अतिक्रमी हैं, जिन्हे 15 दिन मे अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को देने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष मे पारित किया गया है, जो आदेश उचित एवं न्याय संगत है।

विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि खातेदार का ही कब्जा माना जायेगा और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खातेदार काश्तकार व्यक्ति की भूमि पर खातेदार के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का कब्जा मात्र अतिक्रमण एवं ऐसा व्यक्ति मात्र अतिक्रमी माना जायेगा। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब, मालाखेड़ा द्वारा पारित आदेश वैध एवं विधि अनुसार है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टी की जाकर अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। विधि दृष्टान्त 1965 आर.आर.डी. पेज 01 तथा विधि दृष्टान्त 2003 आर.आर.डी. पेज नं. 530, 531 के अनुसार भी खातेदार अनुसूचित जाति के खातेदार व्यक्ति को कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया है और इसके अलावा किसी भी प्रकार के आदेश को नही माना है। इसलिए इस प्रकरण मे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं विधि अनुसार सही है। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत है।

अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष मे अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार साहब, मालाखेड़ा द्वारा पारित आदेश के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पुश्तैनी आराजियात ग्राम मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, ज़िला अलवर की आराजी संख्या 522/2 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 523 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, कुल किता 02, कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्से पे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 13 के नाजायज अतिक्रमण को हटाये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टी किये जाने का निर्णय पारित फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के क्रम में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की महिला है। जिसके ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा में आराजी खसरा नंबर 522/2 रकबा 0.52 है0 523 रकबा 0.56 है0 किता 02 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में प्रार्थिया का 1/4 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070-75 में खातेदारी दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर उज्रदारी नोटिस दैनिक भास्कर अंक में प्रकाशित करवाया गया एवं विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का मालाखेड़ा से ली गई। विधि अनुसार अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने की पुष्टि होने पर काश्तकारी अधिनियम में वर्णित 183 बी के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमी मात्र की परिभाषा में होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2024 को न्यायोचित निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से परीशीलन किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नंबर 522/2 रकबा 0.52 है0 523 रकबा 0.56 है0 किता 02 कुल रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम मालाखेड़ा तहसील मालाखेड़ा में प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट कौशल्या का 1/4 हिस्से को अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट कौशल्या को दिलवाये जाने का निर्णय गलत तरीके एवं विधि विरूद्ध पारित किया गया है। उक्त विवादित आराजी जिस पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को इनके स्वर्गीय पिता जगन्नाथ उर्फ दयाकिशन पुत्र बिहारी लाल जाति कोली से प्राप्त हुई, जिस पर लम्बे समय से 50 वर्षों से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने ही एवं सभी पक्षकारों को बिना सुने ही आनन-फानन में रेस्पोडेन्ट से साज-बाज होकर निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कौशल्या को बेजा फायदा देते हुए आदेश 06 नियम 07 सीपीसी की प्रतिलिपि विपक्षी अधिवक्ता/पक्षकार को दिलाये बिना जवाब प्राप्त किये ही जवाब बन्द कर मनमाने आदेश फरमा दिया गया। उक्त विवादित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां भी मुकदमा चला था, जिसमें दिनांक 01.06.2002 को राजीनामा राजस्व वाद मांगेलाल पुत्र बिहारीलाल जाति कोली निवासी मालाखेड़ा तथा वादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारी के मध्य पेश किया गया। उक्त राजीनामा के अनुसार यह निर्णित हुआ था कि खसरा नंबर 522 रकबा 0.52 है0 523 रकबा 0.56 है0 साबिक खसरा नंबर 230 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

में से 03 बीघा साढे चार बिस्वा भूमि सिरे पूर्व की ओर प्रतिवादी दयाकिशन उर्फ जगन्नाथ पुत्र बिहारी लाल की खातेदारी रहेगी। शेष 01 बीघा साढे बारह बिस्वा आराजी सिरे पश्चिम को वादी मांगेलाल पुत्र स्वर्गीय बिहारी की खातेदारी रहेगी। जिसरो स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट कौशल्या का कब्जा ही नहीं रहा है। उक्त विवादित आराजी गलत तरीके से बाद में रेस्पोडेन्ट कौशल्या के नाम आदेश दिनांक 31.05.2023 से प्राप्त हुई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश 20.05.2024 को अपास्त फरमावें।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की महिला है जिसके नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–75 में आराजी खसरा नंबर 522/2 रकबा 0.52 है0, 523 रकबा 0.56 है0 किता 02 कुल रकबा 1.08 है0 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट का कब्जा है। अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना सुने बिना नोटिस तामील के एक पक्षीय कार्यवाही की गई है बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किया गया एवं शेष बचे तरतीबी रेस्पोडेन्ट की नोटिस उज्रदारी तामील दैनिक भास्कर अंक में दिनांक 28.04.2024 को प्रकाशित की गई एवं तथाकथित राजीनामा दिनांक 01.06.2002 के संबंध में अपीलान्ट ने कोई राजीनामा की प्रति एवं निर्णय की प्रति के दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर खारिज किया गया। साथ ही, प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी में अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र की प्रति एवं जवाब देने का अवसर नहीं दिये जाने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र मात्र लिपिकीय या टाइपिंग गलती से सहवन से 183 बी के स्थान पर 183 लिखा जाने को दुरूस्त करने का पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट कौशल्या विवादित आराजी के 1/4 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसे अपीलान्ट ने भी अपील में कब्जा होना स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति की महिला है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2024 में कानूनन एवं कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गालाखेड़ा के आदेश दिनांक 20.05.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)